



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102026-277383
CG-DL-E-26102026-277383

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2026/कार्तिक 1, 1948

No. 78]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2026/KARTIKA 1, 1948

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2026

का.नि.आ. 78(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 18(अ), तारीख 10 नवंबर, 2025 जो भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, धारा 4, तारीख 10 नवंबर, 2025 को प्रकाशित हुई थी के साथ, पठित छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उपधारा (3) के अनुसरण में, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 19(अ), तारीख 12 नवंबर, 2025 जो भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, धारा 4 तारीख 12 नवंबर, 2025 को प्रकाशित हुई थी में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम संख्या 4 में स्तंभ (3) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ग) श्री अनमोल सिंह”।

[फ़ा. सं. 14(5)/2021-रक्षा(क्यू एंड सी)/पार्ट]

प्रीति मीना, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राज पत्र, असाधारण, भाग- II, धारा 4 में तारीख 12 नवंबर 2025 को अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 19 (अ) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2026

S.R.O. 78(E).— In pursuance of sub-section (3) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence *vide* Number S.R.O. 18(E), dated the 10th November, 2025, published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 4, dated the 10th November, 2025, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Defence *vide* number S.R.O. 19(E), dated the 12th November, 2025, published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 4, dated the 12th November, 2025, namely:-

2. In the said notification, in the Table in serial number 4, in column (3), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

“(c) Shri Anmol Singh”.

[F. No. 14(5)/2021-D(Q&C)/Pt.]

PREETI MEENA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 4, *vide* number S.R.O. 19(E) dated 12th November, 2025.